



बिहार में बिक्री कर की वर्तमान पद्धति और कर संरचना की मुख्य रूप-रेखा

माधवी कुमारी
पिता— स्व. विजय भगत
मु०— मशरफ बाजार,
थाना— नगर थाना
पो०— लालबाग, दरभंगा,

शोध सारांश

भारत वर्ष में अभी तक बड़े पैमाने पर कर संरचना और कार्य के बारे में विश्लेषणात्मक और प्रयोग सिद्ध कार्य नहीं आरंभ किये गये हैं। विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार के मौजूदा नियमों के अधीन राज्य द्वारा बिक्री पर अलग से कर लगाया जाता है। मूल्य वर्धित कर, राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा आय का स्रोत क्योंकि इनके दरों में समानता होती है, इसलिए उत्पाद का मूल्य हर राज्य में अलग होता है। आम भाषा में कहा जाए तो वस्तु और सेवा पाने के लिए जो अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसे बिक्री कर कहते हैं। भारत वर्ष में बिक्री कर अन्य करों की अपेक्षा काफी नया है। इस कर के निर्धारण की शक्ति तत्कालीन भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी संविधान के अन्तर्गत समाचार पत्रों को छोड़कर वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि राज्य सेवाओं पर कर नहीं लग सकते।



Keywords: वित्तीय स्रोत, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, कर संरचना, बिक्री कर।

परिचय:

बिहार में पूर्णतया एक बिन्दु कर प्रणाली लागू है जिनमें अधिकांश वस्तुओं के प्रथम स्तर पर अर्थात् उस प्रथम बिन्दु पर जहाँ उत्पादकों या आयाता को द्वारा प्रथम बिक्री की जाती है, कर देय है। कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं— मोटर गाड़ियाँ सोने और चाँदी से बनी वस्तुएँ, जूते, मिठाईयाँ, पके भोजन, सर्राफा और मसाले, खाद्यान्नों, गुड़ मेथा आयल, तैल्य बीज इत्यादि पर प्रथम कर बिन्दु पर कर लगाया जाता है। लघु व्यवसायियों को कर परिधि से बाहर रखने के लिए कर की निम्नतम सीमा रु० 1 लाख वार्षिक रखी गयी है। जिनमें आयातक और उत्पादक शामिल नहीं है। उत्पादकों को रु० 50 हजार तक के उत्पादन पर करमुक्ति दी गयी है। आयाताकों के लिए पंजीकरण और व्यापार कर देयता प्रत्येक बिक्री पर लागू है। कच्चे मालों पर सामान्य कर की दर 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तथा सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत। कुल बिक्री पर लगाया गया अतिरिक्त कर की सीमा रु० 10 लाख से अधिक होने पर 7.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर चार्ज होता है। 1 नवम्बर 1985 से सभी कर देय व्यवसायियों पर 10 प्रतिशत की समान दर से लगाया गया है। अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादकों को कर मुक्त माल खरीदने का अधिकार है। अन्य निर्माताओं

के लिए कच्चे माल 4 प्रतिशत की रियायती दर पर प्राप्त होते हैं। नये औद्योगिक इकाइयों को हर वर्ष के लिए करमुक्त उत्पाद विक्रय की व्यवस्था है या वे कर स्थगन का लाभ उठा सकते हैं।

आधुनिक युग में विकासशील देशों के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से बिक्री कर का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में सामान्य व्यापार के पक्ष में तेजी से विचार बदलते रहते हैं। इसका सभी देशों की कर संरचना में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत वर्ष में यह कर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार की कुल राजस्व का (4.73) प्रतिशत एवं कुल कर राजस्व का 21.81 एवं राज्यों की कर राजस्व का 41.70 प्रतिशत आय बिक्री कर से ही प्राप्त होती है। हमारे देश में ही विभिन्न राज्यों में कर का स्वरूप अलग-अलग है। भारत वर्ष में अभी तक बड़े पैमाने पर कर संरचना और कार्य के बारे में विश्लेषणात्मक और प्रयोग सिद्ध कार्य नहीं आरंभ किये गये हैं। बिहार में दिनांक 14.05.1994 से बिक्री कर की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत बिक्री कर अधिनियम के स्थान पर व्यापार कर अधिनियम प्रतिस्थापित कर दिया गया और बिक्री कर विभाग का नाम व्यापार कर विभाग कर दिया गया। विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार के मौजूदा नियमों के अधीन राज्य द्वारा बिक्री पर अलग से कर लगाया जाता है। मूल्य वर्धित कर, राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा आय का स्रोत क्योंकि इनके दरों में समानता होती है, इसलिए उत्पाद का मूल्य हर राज्य में अलग होता है। आम भाषा में कहा जाए तो वस्तु और सेवा पाने के लिए जो अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसे बिक्री कर कहते हैं।

भारत वर्ष में बिक्री कर अन्य करों की अपेक्षा काफी नया है। इस कर के निर्धारण की शक्ति तत्कालीन भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी संविधान के अन्तर्गत समाचार पत्रों को छोड़कर वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि राज्य सेवाओं पर कर नहीं लग सकते। किसी मोटर, रेडियो, टी0 वी0 इत्यादि की मरम्मत की सेवाओं पर कोई करारोपण का अधिकार राज्यों को नहीं है परन्तु इससे सम्बन्धित प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं पर कर लगा सकता है, जबकि इन सभी सेवाओं पर करमुक्तियाँ प्रदत्त हैं। कर लगाने की क्षमता केंद्र सरकार में निहित है तथा यदि केन्द्रीय सूची में कोई वस्तु सम्मिलित होने से रह गयी है तो संसद उस पर भी कर लगा सकती है साथ ही साथ सब प्रदेशों की सूची में कोई भी कर जोड़ सकती है।

बिहार में बिक्री कर

बिहार में बिक्री कर का प्रारम्भिक स्वरूप बहु बिन्दु वाला था सिर्फ 33 वस्तुओं के समूह पर एक बिन्दु कर लगता था। कर की दर प्रारम्भ में 6 पाई और 3 पाई प्रति रु0 थी, केवल चीनी पर 2 पाई प्रति रु0 की दर से कर लगता था। कर की बहु बिन्दु दर 3 पाई प्रति रु0 थी। सिगरेट सिंगार तथा पाइप के तम्बाकू पर कर की उच्च दर 6 पाई प्रति रु0 थी। वर्ष 1950-1951 और 1951-1952 कर के स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 1952 में खादी को विक्री कर से मुक्त किया गया चीनी मिलों को दी जाने वाली गन्ने की बिक्री पर जो कर किसानों या सहकारी समितियों से वसूल किये जाते थे उसे भी कर मुक्त कर दिया गया। खरी, नमक, रेक्सिड तेल और जूट मिलों को दी जाने वाली जूट की बिक्री पर कर की दर 6 पाई से घटाकर 3 पाई प्रति रु0 कर दी गयी। विलासिता की वस्तु पर कर की दर बढ़ाकर 9 पाई प्रति रु0 कर दी गयी।

13 दिसम्बर, 1957 को राज्यों के साथ हुए समझौते के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने वस्त्र, चीनी तम्बाकू और उनके उत्पादनों पर बिक्री कर की जगी अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया। अक्टूबर, 1958 से विलासिता की वस्तुओं पर 7 प्रतिशत की दर से एक बिन्दु कर लगाया गया जो कि कर की अधिकतम दी थी। 1 अप्रैल 1959 में भारत वर्ष में दशमलव मुद्रा प्रणाली के प्रभावी होने के कारण 6 पाई प्रति रु0 वाली कर की दर 3 प्रतिशत और 3 पाई प्रति रु0 वाली दर 2 प्रतिशत हो गयी। 1 जून, 1963 में पन्द्रह विलासिता की वस्तुओं पर कर की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी। बिहार बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 3 डी के अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 1964 को प्रथम बार क्रय कर लगाया गया। यह क्रय कर एक बिन्दु सर्वप्रथम 4 वस्तुओं पर लगाया गया। खाद्यानों पर 1.50 प्रतिशत, गुड़पर 3 प्रतिशत, तिलहन 2 प्रतिशत तथा देशी घी पर 5 प्रतिशत की दर से क्रय लगाया गया जिसे बाद में 5 प्रतिशत से घटाकर 16 फरवरी, 1965 को 3 प्रतिशत कर दिया गया। 26 अक्टूबर, 1964 को गुड़ पर कर की दर 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गयी, जो 7 जून, 1965 से प्रभावी हुआ 1 अक्टूबर, 1969 में बहु बिन्दु कर की दर 3 प्रतिशत हो गयी जिसे पुनः 15 नवम्बर, 1971 में बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया जो नवम्बर, 1974 में बढ़कर 4 प्रतिशत हो गयी।

अतिरिक्त कर:

अक्टूबर, 1970 में दो लाख से अधिक के कर देय टर्न ओवर पर 1/4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया गया। अतिरिक्त कर नवम्बर, 1971 में बढ़कर 1/2 प्रतिशत और नवम्बर, 1974 में बढ़कर 1 प्रतिशत हो गया। घोषित वस्तुओं के टर्नओवर पर अतिरिक्त कर देय नहीं है। इसे सितम्बर, 1981 में समाप्त कर दिया गया तथा कुछ दशाओं में इसे सामान्य कर में मिला दिया गया। 1 अक्टूबर, 1983 में 10 लाख रु0 से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों पर 5 प्रतिशत तथा 25 लाख रु0 से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों पर 7.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया गया। शर्त यह थी कि इस अतिरिक्त कर की वसूली व्यवसायी उपभोक्ताओं से नहीं कर सकेगा। 1 नवम्बर, 1985 से सभी कर देय व्यवसायियों पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया गया।

अनेक बिन्दु वाले बिक्री कर में भी अनेक परिवर्तन हुए। मूलरूप से यह 17 वस्तुओं पर लगाया गया जैसे— बीड़ी, कारपेट, दरी, सिगरेट, सिगरेट केश, होजरी की वस्तुएँ, लौह और स्टील, चमड़े की वस्तुएँ, ताले, सोने चाँदी के आभूषण, पेन्ट वार्निश, रबर, कैनवास की वस्तुएँ स्टेशनरी की वस्तुएँ इमारती लकड़ी, टायर ट्यूब्स और सूती रेशमी धागे इसके पूर्व बहुत सी वस्तुओं को इस सीमा के अन्तर्गत शामिल और निरस्त किया गया। बिहार बिक्री कर समिति 1962-63 और बिहार कर जाँच समिति 1968-69 ने बिहार में बिक्री कर के स्वरूप की जाँच की और वे इस बात से संतुष्ट थे कि वर्तमान कर पद्धति एक बिन्दु और अनेक बिन्दु कर प्रणाली का मिश्रण है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्रणाली है। बिहार करारोपण जाँच समिति इस बात से सहमति थी कि अनेक बिन्दु कर प्रणाली की जगह एक बिन्दुकर प्रणाली को वरीयता दी जाय। आर्थिक कल्याण की दृष्टि से यह माँग की जा सकती है कि इस कर को अन्तिम बिन्दु पर लगाया जाय इसका प्रशासनिक लाभ भी होगा और उत्पादको एवं व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर कर प्रवचना की प्रवृत्ति कम होगी। अनेक बिन्दु वाली कर प्रणाली को 2 अक्टूबर, 1975 से समाप्त कर राज्य में केवल एक बिन्दु कर प्रणाली अपनायी गयी जो प्रथम या अन्तिम बिन्दु पर लगता है।

1948 में कर देयता की सीमा में रु0 15000 थी जिसे घटाकर अप्रैल, 1956 में रु0 12000 कर दिया गया। परन्तु 1975 में बढ़कर रु0 25000 कर दी गयी। जिसमें आयातक और निर्यातक भी शामिल थे। व्यवसायियों के लिए पंजीकरण की निम्नतम सीमा (निर्माता आयातक को छोड़कर) अप्रैल 1978 को रु0 30 हजार टर्नओवर थी, जबकि कर देयता की सीमा रु0 50000 थी और जिसे 1 दिसम्बर, 1994 में बढ़ाकर रु0 1 लाख कर दिया गया। 1975 से बहु बिन्दु कर प्रणाली का परित्याग करने तथा पूर्णतया एक बिन्दु कर प्रणाली अपनाने के बाद विलासिता की वस्तुओं पर कर की दर 13 प्रतिशत हो गयी। घोषित वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत थी जबकि गैर वर्गीकृत वस्तुओं पर कर की सामान्य दर 8 प्रतिशत थी। इस स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि व्यापार का झुकाव दूसरे राज्यों की तरफ से कम करने के उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाने के साथ ही साथ उद्योग और व्यापार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था कई दशकों में करो की दरों में परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है।

वर्ष 1975 में शौचालय के सामान और फिटिंग, सभी प्रकार के टाइल्स, नकली आभूषण, चुड़िया हरिकेन लालटेन, पकें भोजन, होजरी और लैम्प इत्यादि पर कर की दर में वृद्धि हुई। आभूषण या सोने चाँदी की बनी वस्तुएँ, धागे, फर्नीचर, मिठाईयाँ, नमकीन इत्यादि पर कर की दरों में कमी की गयी। 1 अप्रैल 1978 से हड्डियों, स्टीक सोडा और ऐश, रद्दी कपास, मूंगफली तेल, बर्फ, हाथी दाँत के सामान, कैंची ताले, घी, गुड़ इत्यादि पर कर की दर में वृद्धि की गई। पुनः मई, 1976 में पड़ोसी राज्यों में करों की दर में कमी होने के कारण व्यापार का मोड़ दूसरे राज्यों से मोड़ने के लिए मोटरकारों, टी0 वी0 सेट, चार्ज सेल पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गयी तथा मोटर, ट्रक और बस की चेचिस पर 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी। जिसे पुनः इसे 9 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत नवम्बर, 1981 में कर दी गयी। सुगन्ध रहित तेलो पर भी 1 नवम्बर, 1988 से कर की दर घटाकर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की गयी। नक्शे शैक्षिक तालिकाओं की वस्तुओं पर कर की दर 1976 में 7 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी। 1977 में घुलनशील सूत, ऊन, होजरी, वाइनाकुलर्स, टेलीस्कोप, सिनेमा, फोटोग्राफी उपकरण, कैमरा सहित, क्राकरी, वटलरी विद्युत के सामान,

शीशे के बर्तन, दूध चूर्ण, कन्डेंसड मिल्क, पिकनिक सेट और थर्मस फ्लास्क पर कर की दरों में कमी की गयी जबकि विद्युत उपकरण, संयंत्र और उनके पुर्जों की बिक्री पर दर में वृद्धि की गयी।

मार्च, 1979 में मोटरकार पर कर की दरों को पुनः 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत और टेलीविजन पर कर की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी। नकदी दर्ज करने वाली मशीन, थर्मस, जग बर्फ, कपूर इत्यादि पर भी कर की दर में वृद्धि की गयी और मोटर साइकिल, स्कूटर, घड़ियाँ और कलाई घड़ी पर भी कर की दर में कमी की गयी। बिहार कर जाँच समिति, 1980 ने बिक्री कर की उचित दरों की सिफारिस की और कुछ वस्तुओं पर दो बिन्दुओं पर कर लगाने का सुझाव दिया और 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर की दर का अनुमूलन कर उसके भार को मूल दरों में विवर्तित करने की सिफारिस की। आयात कर और निर्माताओं को छोड़कर व्यवसायियों के लिए कर देय टर्नओवर की निम्न सीमा रु0 50000 से बढ़ाकर रु0 100000 और राज्यों में विशेष कच्चे मालों और उनके अवयवों पर लगे कर का समायोजन करने के लिए योजना शुरू करने का सुझाव दिया।

इस समिति के सुझावों के दृष्टिकोण से जहाँ तक कर की दरों का प्रश्न है सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया जबकि दो बिन्दु पर कर लगाने वाली कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को नहीं स्वीकार किया गया। उद्योगों को कर समायोजन की योजना को भी स्वीकार करने के पक्ष में राज्य सरकार नहीं थी 1 अक्टूबर 1981 से उत्पादकों के लिए कर सीमा रु0 50000 तथा दूसरे व्यवसायियों के लिए रु0 100000 कर दी गयी। आयातकों पर बिना किसी सीमा के कर लगाने का प्रावधान है।

अक्टूबर 1983 से लकड़ी और टिम्बर तथा अयस्क और धातु पर कर की दर घटाकर क्रमशः 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत और 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दी गयी। शक्ति से अथवा ट्रैक्टर से चले वाले कृषि उपकरणों जिनकी कीमतें 31 दिसम्बर, 1984 के बाद से अधिक नहीं है उन्हें 1 फरवरी 1985 से कर मुक्त कर दिया गया। जून, 1985 में सर्राफा, मसाले, खाद्य तेलों, मिठाईयों, पके हुए भोजन और घड़ियों पर कर की दरों में वृद्धि की गयी साथ ही साथ शैक्षणिक चार्ट, नक्शे, गोटा और पान को कर मुक्त कर दिया गया। जबाब बेकरी उद्योग को करमुक्त कच्चा माल खरीदने की छूट दी गयी।

मई 1994 में जीवन रक्षक दवाइयों तथा 25 हार्स पावर के ट्रैक्टर करमुक्ति समाप्त कर दिया गया। दवाइयों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर 6 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत और जुट व सन की अन्य वस्तुओं पर कर की दर 8 प्रतिशत की गयी है। बिहार के अन्तर्गत कर देकर खरीदे गये कच्चे माल से निर्मित होजरी की बिक्री पर कर दर 2 प्रतिशत नट, बोल्ट, स्क्रूप तथा नेल्स की बिक्री पर कर की दर 4 प्रतिशत और आयरन व स्टील की बिक्री पर कर की दर 2 प्रतिशत की गयी। प्रान्त के अन्दर कर देकर खरीदे गये गेहूँ से निर्मित आटा, मैदा व सूजी पर की दर 2 प्रतिशत की गयी। सीमेन्ट निर्माण करने वाली इकाईयों को धारा (क) के अन्तर्गत प्रतिबद्धित सूची निकाल दिया गया किसी अन्य विज्ञप्ति से अनाच्छादित पेट्रोलियम आधारित तेल पर निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर कर की दर 2 प्रतिशत की गयी। वनस्पति पर प्रान्तीय बिक्री पर कर की दर 3 प्रतिशत और केन्द्रीय बिक्री पर कर की दर 2 प्रतिशत की गयी पुनः वनस्पति पर 1995 से प्रान्तीय बिक्री पर कर की दर 6 प्रतिशत कर दी गयी।

1 अप्रैल 1998 से सभी प्रकार की पादुकाएँ (फुटवियर) जिसमें रबर हवाई चप्पल सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 3 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 1999 से 6 प्रतिशत रबर हवाई चप्पल पर मिश्र धातु के साथ या उसके बिना सोने या चाँदी से बने गहने और किसी अन्य मिश्र धातु के साथ या उसके बिना सोने या चाँदी के बिना बने गहने और ज्वैलरी के विषय में 1 अप्रैल 1998 से 2 प्रतिशत और 1 अप्रैल 1999 से 4 प्रतिशत।

1 अप्रैल 1998 से बेत के फर्नीचर पर 6 प्रतिशत एवं इससे भिन्न प्रकार के फर्नीचर पर 6 प्रतिशत कर लगाया गया है तथा 1 अप्रैल 1999 से इसे 12 प्रतिशत किया गया। 1 मई 1998 से बिहार राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को स्कूटर मोटर साइकिल की बिक्री पर कर मुक्ति की सुविधा समाप्त कर दी गयी। 18 जुलाई 2015 द्वारा वनस्पति उद्योग के सम्बन्ध में वनस्पति घी के निर्माण या पैकिंग के लिए कच्चे माल और पैकिंग मैटेरियल की बिक्री पर समाधान योजना के अन्तर्गत कर से छूट प्रदान की गयी। 1 सितम्बर 2016 से गर्भ निरोधक गोण्डियों पर देय कर से छूट प्रदान की गयी है। 1 सितम्बर 2015 से 1 वर्ष की अवधि के लिए जिंक सल्फेट उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रियेन्ट मिश्रणों की बिक्री पर देय कर से छूट प्रदान की गयी। 8 सितम्बर 2015 द्वारा पाम आयल, जिसके अन्तर्गत पामोलिव भी हैं पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गयी है। नयी इकाईयों के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर 2015 से पैकिंग की

सीमा समाप्त कर दी गयी। 1 मार्च 2016 से बिहार राज्य में कारोबार का स्थान रखने वाले किसी व्यापारी द्वारा अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पॉलीथीन इन्सूलेटेड जेली, फिल्ड टेलीफोन, केबिन्स, टेलीका केबिल्स या अन्य प्रकार के कम्यूनिकेशन केबिल को 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है।

निष्कर्ष

बिक्री कर का उद्ग्रहण पहली बार उत्पादित या आयातित तथा बेची गई किसी वस्तु की बिक्री पर किया जाता है। यदि उत्पाद को आगे और प्रसंस्कृत किए बिना तदनन्तर बेचता जाता है तो वह बिक्री कर से छूट प्राप्त होगा। बिक्री कर भारत में वस्तुओं के क्रय तथा बिक्री पर एक उद्ग्रहण है तथा इसका उद्ग्रहण केन्द्रीय विधान (केन्द्रीय बिक्री कर) तथा राज्य सरकार विधानों (बिक्री कर), दोनों के प्राधिकारांतर्गत किया जाता है। सरकार मुख्यतः वस्तुओं की अन्तर राज्य बिक्री पर बिक्री कर का उद्ग्रहण करती है। राज्य उन लेन-देनों पर भी कर का उद्ग्रहण करती है "मानी गई बिक्री" होते हैं यथा निर्माण कार्य संविदाएँ तथा पट्टे। बिक्री कर के अतिरिक्त, कुछ राज्य अतिरिक्त कर, अधिकार, कारोबार कर तथा समान प्रकार के करों का उद्ग्रहण भी करती है। साधारणतया, बिक्री कर की वसूली क्रेता से वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रतिफल के भाग के रूप में की जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि समुचित राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री पर कर का कोई दायित्व नहीं डाला गया है। अन्तर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान प्रत्येक व्यापारी द्वारा उसके द्वारा की गई किन्हीं वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर अदा किया जाता है।

संदर्भ श्रोत :-

1. वी. जी. रामकृष्ण, पब्लिक फाईनांस विद द स्पेशल रिफ्रेंस टु इण्डिया, फोर्थ एडीसन, जयपुर, 2015, पृ. 234
2. ए. के. अग्रवाल, कर्मांडिटी टैक्सेज इन इण्डिया, चूंग पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2009, पृ. 39
3. आर. के. अग्रवाल, सैल्स टैक्स एक्ट, 1948, आलिया लॉ एजेंसी, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद, 2008, पृ. 158
4. डी. एन. एलहंस, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ इण्डिया सिन्स इनडिपेण्डेन्स, किताब महल, इलाहाबाद, 2012, पृ. 217
5. बार. पी. केंगल, दी कौटिल्य अर्थशास्त्र स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे, 2015, पृ. 325
6. बी. पी. गाँधी, सम एसपेक्ट्स ऑफ इण्डियन टैक्स स्ट्रक्चर : एन इकोनोमिक एनॉलिसिस, बोस एण्ड कम्पनी, बॉम्बे, 2015, पृ. 196
7. एम. जी. गौरा, गाइड टू सैल्स टैक्स एक्ट 1948, नार्दन लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2016, पृ. 67